झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 18.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री सरयू राय स0वि0स0	पुलिस विभाग में आरक्षी, पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक का पद मूल कोटि का पद है। इन्हीं पदों पर सीधी नियुक्तियाँ होती हैं। सहायक अवर पुलिस निरीक्षक और पुलिस निरीक्षक की कोटि में सीधी नियुक्ति नहीं होती है। ये दोनों पद पूर्णतया प्रोन्नति के आधार पर भरे जाते हैं। पुलिस हस्तक नियमावली के नियम-689-ग के अनुसार पुलिस निरीक्षक, परिचारी प्रवर एवं सूबेदार के पद से संयुक्त वरीयता के आधार पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति होती है। पुलिस हस्तक नियम-646 में पुलिस निरीक्षक, परिचारी प्रवर एवं सूबेदार के वरीयता के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है। वर्त्तमान में प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड द्वारा पुलिस निरीक्षक की कोटि को मूल कोटि मानने की सलाह पुलिस विभाग को दी गई है। पुलिस हस्तक नियमावली के नियम-646 एवं पुलिस सेवा नियमावली-2012 तथा कार्मिक विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-117,	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		दिनांक- 30.09.1995 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा करना नियम विरूद्ध होगा। इससे व्यवहारिक एवं तकनीकी कठिनाईयाँ होगीं तथा सामान्य एवं पिछड़ी जातियों के पदधारियों का पुलिस उपाधीक्षक के अनारक्षित कोटि के पद पर प्रोन्नति की संभावना क्षीण हो जायेगी। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस विसंगति की ओर आकृष्ट करता हूँ और मांग करता हूँ कि पुलिस हस्तक नियम एवं झारखण्ड पुलिस सेवा नियमावली-2012 के प्रावधानों के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नति के लिए आरक्षी एवं पुलिस अवर निरीक्षक पद को ही मूल कोटि का पद मानकर आवश्यक कार्रवाई की जाय।	
02-	**प्रो0 स्टीफन मरांडी स0वि0स0 श्री निरल पुरती**	राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूरे राज्य में शांतिपूर्वक कराया गया था लेकिन जिला परिषदो/पंचायतों के अधिकार, स्वयत्त शासी संस्था, पंचायतों को सशक्त बनाने की परिकल्पना, प्रशासनिक नियंत्रण, अब तक कागजों तक ही सीमित है, सभी कार्य विभागों के नियंत्रण में है। अधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते, सरकारी प्रपत्रों, संकल्प, आदेश, अधिसूचना का व्यवहारिक कार्यान्वयन नहीं होता है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला परिषदों को अब तक सात माह चुनाव हो जाने के बाद भी राज्य के अधिकतम जिलों में किसी प्रकार की निधि उपलब्ध नहीं कराया गया है, परिषदों में कामकाज ठप है। 13वीं वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तथा 14वीं वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि सीधे पंचायतों को दी जा रही है। वर्ष-23-24 तथा 15वीं वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि सीधे पंचायतों को दी जा रही है। संविधान में 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर प्रत्यायोजन कर-	**पंचायती राज**

01.	02.	03.	04.
		जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय अबतक जिला परिषद् में नहीं किया गया है। महामहिम राज्यपाल के आदेश से अभी तक चौदह विभागों को हस्तांतरण किया गया है, लेकिन माननीय राज्यपाल के आदेश का अवहेलना कर उपरोक्त विभागों का अनुश्रवण संचिका का संपादन व अनुशंसा जिला परिषद्/पंचायत समिति से नहीं कराया जा रहा है। भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा कार्यान्वित योजनाओं, तालब निर्माण/जीर्णोद्धार के लिए अनुशंसा/अनुमोदन की शक्ति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को बजट का 25 प्रतिशत की राशि केरल सरकार के तर्ज पर व बिहार व पश्चिम बंगाल पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार व जिला परिषद् के अधीन सभी विभागों में अनुशंसा एवं अनुमोदन की शक्ति तथा जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के तीन इकाईयों के सभी पदधारकों को सम्मानजनक वेतन निर्धारण भी अबतक नहीं किया गया है। अतः सरकार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सबसे उच्च संस्था को उपरोक्त अधिकार/विकास योजनाओं के लिए राज्य के सभी जिला परिषदों को 15वीं वित्त आयोग के द्वारा प्रदत्त राशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।	
03–	श्री किशुन कुमार दास स0वि0स0	संयुक्त बिहार व स्वतंत्र झारखण्ड से स्थापना अनुमति प्राप्त स्थाई प्रस्वीकृत्ति प्राप्त अनुदानित व गैर अनुदानित उच्च विद्यालय में वर्ग दशम् तक की शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एवं पिछड़ा वर्ग के बच्चों की संख्या अधिसंख्य है जिनका हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन रहता है। फिर भी इन स्कूलों के बच्चों को छात्रवृत्ति, पुस्तक, पोषाक, साईकिल आदि की सुविधा सरकार द्वारा नहीं दी जाती है।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

01.	02.	03.	04.
		नई शिक्षा नीति के तहत् वर्ग 9,10,11,12 की शिक्षा एक साथ देने का प्रावधान किया गया है जिससे इन स्कूलों का अस्तित्व संकट में है। अतएव स्थापना अनुमति प्राप्त/स्थायी प्रस्वीकृत्ति अनुदानित व गैर अनुदानित उच्च विद्यालयों के अस्तित्व की रक्षा हेतु +2 विद्यालयों में उतक्रमित्त करते हुए अध्ययनरत बच्चों को छात्रवृत्ति, पुस्तक, पोषाक, साईकिल आदि की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
04-	डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0 श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0 श्रीमती सुनिता चौधरी स0वि0स0	भारत में 1871 से लेकर 1941 तक हुई जनगणनाओं में आदिवासियों को अन्य धर्मो से अलग धर्म में गिना गया है, जैसे Other religion 1871, ऐबरिजनल 1881, फारेस्ट ट्राइब- 1891,एनिमिस्टर/ 1901, एनिस्टि- 1911, प्रिमिटिव- 1921, ट्राइबल रिलिजन- 1931, "ट्राइब- 1941" इत्यादि नामों से वर्णित किया गया है। हालांकि 1951 की जनगणना के बाद से आदिवासियों को अलग से गिनना बंद कर दिया गया है। 1871-1872 में प्रथम Census में कुड़मियों/कुरमी को JHari Tribes or Wood Tribes चिन्हित किया गया था। Chhotanagpur Tenancy Act 1908 पारित किया गया जिसमें कुड़मी को Aboriginal Raiyat कहा गया था 1911 के Census में कुड़मी को Aboriginal, 1913 में कुड़मी Aboriginal Tribe होने के कारण अन्य बारह जनजातियों (Aboriginal Tribes) के साथ इन्हें भी Indian Succession Act 1865 से अलग रखा गया, क्योंकि इन सभी जनजाति का अपना-अपना Custom है 1950 में जिस तरह से 1931 के Tribes को ही Scheduled Tribes बनाया है, परन्तु कुड़मी को आजतक Scheduled Tribes की सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। झारखण्ड की बड़ी आबादी वाली आदिम जाति कुड़मी	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		की है। जो एक नस्लीय एवम् पूर्णतः प्रकृति पूजक है। इनकी अपनी भाषा कुड़माली/कुरमाली है। इस आधार पर दिनांक- 23/11/2004 को कुरमी/कुड़मी/घटवार/कोल (तेली) चंद्रवंशी/कहार को जनजाति सूची में सूचीबद्ध करने हेतु केन्द्र सरकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अभी तक उस अनुशंसा पर कार्रवाई लम्बित है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से राज्य के कुरमी/कुड़मी/घटवार/कोल (तेली) चंद्रवंशी/कहार जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में सूचीबद्ध करने हेतु केन्द्र सरकार को अनुशंसा करने की मांग करता हूँ।	
05-	**श्री सुखराम उराँव स0वि0स0**	पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर विधान सभा क्षेत्र के चक्रधरपुर नगरपालिका अन्तर्गत शहर के बीच स्थित **''रानी तालाब''** जो राजा अर्जुन सिंह की धरोहर है। उक्त तालाब से सम्पूर्ण चक्रधरपुर शहर को पानी उपलब्ध कराया जाता है परन्तु राजा अर्जुन सिंह के समय से आजतक उक्त तालाब का जीर्णोद्धार/सौंदर्यीकरण/या साफ सफाई भी नहीं की गयी है। उक्त ऐतिहासिक तालाब में वर्षात की दिनों में नाली के आभाव में शहर का गंदा पानी भर जाता है तथा तालाब के भर जाने के बाद वह गंदा पानी आस-पास के घरों तक पहुँच जाता है। रानी तालाब के सौंदर्यीकरण/गहरीकरण एवं नाली के निर्माण से शहरवासियों को उक्त समस्या से निजात के साथ-साथ शहर की सुन्दरता भी बढ़ेगी। अतः आसन के माध्यम से मैं चक्रधरपुर के उक्त ऐतिहासिक ''रानी तालाब'' के सौंदर्यीकरण/गहरीकरण तथा तालाब के चारों ओर नाली के निर्माण करने की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	**नगर विकास एवं आवास**

राँची,
दिनांक- 18 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-1337/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/3/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं सचिव, नगर विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/23
17.03.23
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-1337/वि0 स0, राँची, दिनांक-17/3/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

17/3/23
17.03.23
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

17/03/23